छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ :- माननीय न्यायामूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा, तथा

माननीय न्यायामूर्ति श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील संख्या 244, सन् 2005

अपीलकर्ता : ***राजू@ देवेंद्र चौबे***
(हिरासत में)

बनाम

प्रत्यर्थी : **छत्तीसगढ़ राज्य,**

और अन्य संबंधित दाण्डिक अपीलें

निर्णय हेतु विचारार्थ

सही/-
न्यायाधीश
16-09-2010

माननीय न्यायामूर्ति श्री आर.एन. चंद्राकर. न्यायाधीश

मै सहमत हूं

सही/-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायामूर्ति

निर्णय के लिए दिनांक 17 सितंबर, 2010 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायामूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ :- माननीय न्यायामूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा, तथा

माननीय न्यायामूर्ति श्री आर.एन. चंद्राकर. न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील संख्या क्रमांक 244, सन् 2005

अपीलकर्ता (हिरासत में)	:	राजू @ देवेंद्र चौबे, आयु लगभग 29 वर्ष, पिता श्री राजेंद्र कुमार चौबे, निवासी सिमगा, बस स्टैंड के पास, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
	बनाम	
प्रत्यर्थी	:	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना बेमेतरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील संख्या क्रमांक 295, सन् 2005

अपीलकर्ता	:	बीनू @ चन्द्र प्रकाश, उम्र लगभग 22 वर्ष, पिता परमानन्द तिवारी, निवासी कोटा कॉलोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़), (वर्तमान में जेल में निरुद्ध)
	बनाम	
प्रत्यर्थी	1.	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना बेमेतरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
	2.	श्रीमती शशि त्रिपाठी, उम्र लगभग 38 वर्ष, पति शारदा प्रसाद त्रिपाठी, निवासी ग्राम जेवरा, थाना बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)
	3.	महेश, उम्र लगभग 21 वर्ष, पिता सुखीराम धृतलहरे, निवासी कोटा कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
	4.	राजू @ देवेंद्र चौबे, उम्र लगभग 29 वर्ष, पिता राजेन्द्र कुमार चौबे, निवासी बस स्टैण्ड के पास, ग्राम सिमगा, जिला रायपुर (छ.ग.)

दाण्डिक अपील संख्या क्रमांक 171, सन् 2005

अपीलकर्ता (हिरासत में)	:	महेश, पिता सुखीराम धृतलहरे, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी कोटा कॉलोनी, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
	बनाम	
प्रत्यर्थी	:	छत्तीसगढ़ राज्य

तथा

दाण्डिक अपील संख्या क्रमांक 206, सन् 2005

अपीलकर्ता (हिरासत में)	:	श्रीमती शशि त्रिपाठी, पति शारदा प्रसाद त्रिपाठी, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम जेवरा, तहसील एवं थाना बेमेतरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
	बनाम	
प्रत्यर्थी	:	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना बेमेतरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:-

श्री अरुण कोचर, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से, दाण्डिक अपील क्रमांक 244/05 में।

श्री भीष्म किंगर, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से, दाण्डिक अपील क्रमांक 294/05 में।

श्री जे.ए. लोहानी एवं श्री सुर्यकांत मिश्रा, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से, दाण्डिक अपील क्रमांक 171/05 में।

सुश्री पुष्पा द्विवेदी, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से, दाण्डिक अपील क्रमांक 206/05 में।

श्री अरुण साँव, शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

// निर्णय //

(दिनांक 17 सितम्बर 2010, को उद्घोषित किया गया)

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायमूर्ति के अभिमत से

01. उपरोक्त दाण्डिक अपीलों का निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये सभी अपीलें दिनांक 29 जनवरी, 2005 को पारित निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत कि गयी हैं, जो सत्र प्रकरण क्रमांक 44/04 में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, जिला दुर्ग द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 एवं 120-ख के अंतर्गत दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा ₹1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, और अर्थदण्ड की राशि अदा करने में वयतिक्रम किये जाने पर प्रत्येक को अतिरिक्त तीन माह के कठोर कारावास भुगतना होगा ।

02. अभियोजन का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि अपीलकर्ता शशि त्रिपाठी, मृतका भावना त्रिपाठी की सौतेली सास है, जबकि शिकायतकर्ता डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी के पति हैं। शिकायतकर्ता का पुत्र जितेन्द्र कुमार, जो मृतका भावना का पति है, एक निजी चिकित्सक है तथा ग्राम थान खम्हरिया में चिकित्सकीय व्यवसाय करता है और वहीं निवास करता है। जितेन्द्र कुमार का विवाह भावना त्रिपाठी के साथ जुलाई, 2003 में संपन्न हुआ था। बताया गया है कि शशि त्रिपाठी, घरेलू विवाद के कारण भावना त्रिपाठी से प्रायः अप्रसन्न/नाराज़ रहती थी। उसने भावना की हत्या कराने के लिए अन्य अपीलकर्ताओं को सुपारी पर लगाया। उनके साथ मिलकर उसने हत्या की साजिश रची तथा उसकी योजना बनाई, और उसी योजना के क्रियान्वयन में 25.11.2003 को लगभग 18:30 बजे, जिस घर में वह शशि त्रिपाठी के साथ रहती थी, वहाँ उसकी हत्या कर दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. घटना की शिकायत दिनांक 25.11.2003 को लगभग 20:45 बजे डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी द्वारा दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई। अपराध पंजीबद्ध किए जाने के उपरांत, दिनांक 26.11.2003 को मृतका भावना के शव का मृत्यु समीक्षा तैयार किया गया। उसके शव को परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बेमेतरा भेजा गया, जहाँ डॉ. नरेश तिवारी

एवं डॉ. एम. देओधर ने शव परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/18) प्रस्तुत किया। थाना प्रभारी पी. संतोष राव ने दिनांक 26.11.2003 को मौका नक्शा(प्रदर्श-पी/5) तैयार किया। हल्का पटवारी द्वारा भी नजरि नक्शा(प्रदर्श-पी/6) तैयार किया गया। अनिल साहू से रक्तरंजित शर्ट को प्रदर्श-पी/12 के तहत जब्त किया गया; अपीलकर्ता शशि त्रिपाठी के रक्तरंजित पहने हुए वस्त्र प्रदर्श-पी/13 के तहत जब्त किए गए; घटना स्थल से टूटी हुई चूड़ियाँ, रक्तरंजित सीमेंट मोर्टार तथा सादा सीमेंट मोर्टार को प्रदर्श-पी/29 के तहत जब्त किया गया। भावना त्रिपाठी के शयनकक्ष के फर्श पर पाए गए लॉकेट सहित हार, हरी चूड़ियों के टुकड़े, ब्रिस्टल सिगरेट की ठुठी, चांदी की अंगूठी तथा बालों का गुच्छा प्रदर्श-पी/30 के तहत जब्त किया गया। शशि त्रिपाठी, महेश धृतलहरे तथा बीनू @ चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी को दिनांक 29.11.2003 को गिरफ्तार किया गया। बीनू @ चन्द्र प्रकाश के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श-पी/22) के आधार पर रक्तरंजित चाकू को प्रदर्श-पी/24 के तहत जब्त किया गया। राजू @ देवेंद्र कुमार चौबे के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श-पी/23) के आधार पर अपराध में प्रयुक्त सुजुकी मोटरसाइकिल को प्रदर्श-पी/27 के तहत जब्त किया गया। शशि त्रिपाठी, बीनू तथा राजू के सिर के नमूना बाल क्रमशः प्रदर्श-पी/25, पी/26 एवं पी/28 के तहत जब्त किए गए। महेश धृतलहरे तथा बीनू की गिरफ्तारी के उपरांत, कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री एस.आर. दिवान द्वारा उप-जेल बेमेतरा में दिनांक 13.12.2003 को पहचान परेड प्रदर्श-पी/8 के अनुसार कराया गया। राजू चौबे @ देवेंद्र चौबे का पहचान परीक्षण दिनांक 26.12.2003 को उप-जेल बेमेतरा में कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा प्रदर्श-पी/16 के अनुसार कराया गया। शशि त्रिपाठी को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु शासकीय चिकित्सालय, बेमेतरा भेजा गया तथा उसका चिकित्सकीय-वैधानिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पी/20 है। मृतका की मुट्ठी में पाए गए बालों का एक सीलबंद पैकेट तथा चिकित्सालय से प्राप्त मृतका के रक्तरंजित वस्त्रों का अन्य सीलबंद पैकेट प्रदर्श-पी/35 के तहत जब्त किया गया। जब्त की गई सामग्रियाँ—स्थल से प्राप्त रक्तरंजित एवं सादा मोर्टार, मृतका

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के रक्तरंजित वस्त्र, मृतका की मुट्ठी में पाए गए बाल, शशि त्रिपाठी के रक्तरंजित पहने हुए वस्त्र, अनिल साहू की रक्तरंजित शर्ट, बीनू तिवारी से जब्त रक्तरंजित चाकू, बीनू, देवेंद्र तथा शशि त्रिपाठी के बालों के नमूने—रासायनिक परीक्षण हेतु, प्रदर्श-पी/39 के अनुसार, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजे गए, तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/41 है।

04. विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में अग्रेषित किया, और वहां से यह प्रकरण विचारण हेतु माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को अन्तरण पर प्राप्त हुआ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

05. माननीय विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 तथा 120-ख के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। अभियुक्त व्यक्तियों ने अपना दोष अस्वीकार किया। अभियोजन ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने हेतु कुल 22 साक्षियों का परीक्षण कराया। इसके उपरांत, आरोपियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिनमें उन्होंने अभियोजन प्रकरण में उनके विरुद्ध प्रकट परिस्थितियों का खंडन करते हुए स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना बताया। तथापि, आरोपियों ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

06. माननीय विचारण न्यायालय ने, अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की तर्के सुनने के उपरांत, अपीलकर्ताओं को इस निर्णय के कंडिका-1 में उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया।

07. भावना त्रिपाठी की मृत्यु का मानववध विवादित नहीं है। इसके अतिरिक्त, शव परीक्षण करने वाले डॉ. एम. देओधर के साक्ष्य से भी यह तथ्य स्थापित होता है कि मृतका के शरीर पर

निम्नलिखित चोटें पाई गईं तथा चिकित्सक ने मृत्यु का कारण यकृत एवं फेफड़ों में भेदी हुई चोटों के परिणामस्वरूप हुए अत्यधिक रक्तस्राव तथा बहुविध काटने के घावों से उत्पन्न न्यूरोजेनिक एवं हेमोरेजिक शॉक (रक्तस्रावी शॉक) को बताया। इस प्रकार, भावना त्रिपाठी की मृत्यु एक मानववध होना पूर्णतः सिद्ध है।

<u>बाह्य चोटें :-</u>

(1) बाएँ स्कैप्युलर क्षेत्र पर 3 से.मी. × 1 से.मी. का कटाँ हुआ घाव (incised wound);

(2) बाएँ स्कैप्युलर क्षेत्र पर 4 से.मी. × 1½ से.मी. × 1½ से.मी. का कटाँ हुआ घाव ;

(3) बाएँ एक्सिलरी क्षेत्र के पश्च-अक्सिलरी भाग पर 3 से.मी. × 2 से.मी. × 3 से.मी. का एक कटाँ हुआ घाव ;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) बाएँ निचले कोस्टल क्षेत्र पर 3½ से.मी. × 2 से.मी. × 1 से.मी. का कटाँ हुआ घाव ;

(5) दाएँ एपिगैस्ट्रिक क्षेत्र में दाएँ निचले कोस्टल क्षेत्र पर ½ से.मी. × 3 से.मी. माप का कटाँ हुआ घाव , जिसमें भेदी हुई चोट (punctured wound) सम्मिलित;

(6) दाएँ कोस्टल क्षेत्र पर 3 से.मी. × 2 से.मी. × 1 से.मी. का कटाँ हुआ घाव ;

(7) दाएँ सुप्रा-मैमरी क्षेत्र में मध्य के निकट 4 से.मी. × 1 से.मी. × 1½ से.मी. का कटाँ हुआ घाव ;

(8) दाएँ सुप्रा-मैमरी क्षेत्र के पार्श्व भाग पर 3 से.मी. × 1½ से.मी. × 1½ से.मी. का कटाँ हुआ घाव ;

(9) बाएँ कलाई जोड़ के निकट, बाँह के रेडियल भाग पर 2 ½ से.मी. × ½ से.मी. × ½ से.मी. का कटाँ हुआ घाव ;

(10) बाएँ हाथ के अग्रभाग के रेडियल पक्ष के डॉर्सल भाग पर निचले 2/3 भाग में कटाँ हुआ घाव ;

(11) बाएँ अग्रभाग के मध्य 1/3 भाग में, रेडियल तथा पश्च भाग पर 2 ½ से.मी. × 1½ से.मी. × 1 से.मी. का कटाँ हुआ घाव ;

(12) बाएँ हाथ के डॉर्सल भाग पर द्वितीय एवं तृतीय मेटाकार्पल क्षेत्र में 2½ से.मी. × ½ से.मी. × 1½ से.मी. का कटाँ हुआ घाव ;

(13) बाएँ हाथ के अल्ना क्षेत्र के निचले 1/3 भाग पर 1 से.मी. × ½ से.मी. × 1 से.मी. का कटाँ हुआ घाव ; तथा

(14) बाईं गर्दन के अग्र-त्रिभुज (anterior triangle) में 2 से.मी. × ½ से.मी. × 1½ से.मी. का कटाँ हुआ घाव ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आंतरिक चोटें :-

मस्तिष्क झिल्ली (brain membrane) पीली पाई गई; फेफड़े एवं श्वास नली (trachea) पीले पाए गए। दाएँ तथा बाएँ दोनों फेफड़ों पर क्रमशः 2 से.मी. × 1 से.मी. तथा 2½ से.मी. × 1 से.मी. × 3 से.मी. माप के भेदी हुए घाव (punctured wounds) पाए गए; लोब कटा हुआ था तथा 3 से.मी. का भेदी घाव उपस्थित था। दाएँ फेफड़े के लोब पर 3 से.मी. × ⅓ से.मी. × 3½ से.मी. का कटाँ हुआ घाव (incised wound) भी पाया गया। यकृत, गुर्दे एवं प्लीहा पीले पाए गए। मृतका गर्भवती थी तथा उसके गर्भ में लगभग दो माह का भ्रूण था।"

विचारण न्यायालय के द्वारा स्थापित तथ्य एवं निष्कर्ष।

08. बचाव पक्ष के इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कि अ.सा.-21 अनिल कुमार एक प्रेरित / सिखाया-पढ़ाया साक्षी था, क्योंकि वह घटना के पश्चात् तथा उसके न्यायालय में कथन दर्ज किए जाने के समय तक एक महत्वपूर्ण अवधि तक पुलिस की अभिरक्षा में रहा था, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया है :

(i) अनिल कुमार घटना का प्रत्यक्षदर्शी (eyewitness) है; उसका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है; अभिलेख में ऐसा कोई आधार उपलब्ध नहीं है जिससे उसके साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके; वह अपने मुख्य परीक्षण में दिए गए कथन पर दृढ़ बना रहा है तथा उसके साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे उसे प्रेरित अथवा सिखाया-पढ़ाया साक्षी कहा जा सके।

(ii) उसका साक्ष्य घटना के लगभग 6–7 माह के भीतर दर्ज किया गया है और उसने अभियुक्तगण को न्यायालय में कटघरे में उपस्थित पाकर उन्हें स्पर्श करके सही-सही पहचान किया है। उसने उप-जेल, बेमेतरा में विवेचना के दौरान कराई गई पहचान परेड में भी अभियुक्तगण की पहचान की है। उसका कथन नायब तहसीलदार श्री एस.आर. दिवान तथा अतिरिक्त तहसीलदार श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर के साक्ष्य से और अधिक पुष्ट होता है, जो कि शासन के राजपत्रित अधिकारी हैं तथा जिन्होंने पहचान परेड संपादित की थी। इन अधिकारियों का अभियुक्तगण के प्रति कोई दुर्भाव (animus) नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) घटना शशि त्रिपाठी के घर में तथा उसकी उपस्थिति में हुई; भावना त्रिपाठी की चीख सुनकर जब अनिल कुमार ने उसके विषय में पूछा, तब उसने टेलीविजन की आवाज़ बढ़ा दी और भावना त्रिपाठी की चीख-पुकार सुनने के पश्चात भी सहायता हेतु नहीं पुकारा; और केवल तभी शोर (alarm) मचाया जब अभियुक्तगण वहाँ से भाग चुके थे। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई तथा उसके (शशि त्रिपाठी के) बाल मृतका भावना त्रिपाठी की मुट्ठी में पाए गए।

<u>अपीलकर्ताओं के तर्क:</u>

09. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने, अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए, यह तर्क प्रस्तुत किया कि अनिल कुमार घटना के पश्चात् 20–25 दिनों तक पुलिस की अभिरक्षा में

रहा तथा इस अवधि में पुलिस ने इस साक्षी के संबंध में समस्त आवश्यकताएँ का प्रबंध किया । उसके साक्ष्य के न्यायालय में दर्ज होने के समय भी वह एक पुलिस आरक्षक के साथ न्यायालय आया, जिसने उसे प्रयागराज (इलाहाबाद) में न्यायालय का समन तामील किया था। इन परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय द्वारा इस साक्षी के कथन पर पूर्णतः भरोसा किया जाना उचित नहीं था, क्योंकि बाल साक्षी को 'लिखाए पढाए ' (tutoring) जाने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। विचारण न्यायालय ने इस साक्षी के साक्ष्य को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया है, जबकि प्रतिपरीक्षण में इंगित की गई विसंगतियों एवं असंभावनाओं पर कोई विचार नहीं किया गया तथा बचाव पक्ष की इस तर्क को भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया कि यह साक्षी पुलिस के दबाव में आकर बयान दे रहा है।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***भगवान सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य,*** **(2003) 3 एस.सी.सी.** 21 तथा ***भग सिंह बनाम हरियाणा राज्य,*** **1979 क्रि.ला.ज. एन.ओ.सी. 100 (पंजाब एवं हरियाणा)** के प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि किसी बाल साक्षी के कथन को स्वीकार करते समय न्यायालय को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए तथा उसको 'लिखाए पढाए ' (tutoring) जाने की संभावना को पूर्णतः नकार देना चाहिए, क्योंकि बाल साक्षी इस प्रकार की प्रेरणा के लिए सरल लक्ष्य होता है। अतः न्यायालय को उसके कथन के लिए अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से पर्याप्त पुष्टिकरण (corroboration) पर बल देना चाहिए। यह भी तर्क किया गया कि यह अत्यंत असंभाव्य एवं अप्राकृतिक है कि कोई व्यक्ति, जो एक जघन्य अपराध का अपराधी हो, एक प्रत्यक्षदर्शी को जीवित छोड़ देगा ताकि वह उसके विरुद्ध साक्ष्य दे सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अ. सा.-21 का कहना है कि उसने देवेंद्र चौबे तथा चन्द्र प्रकाश को जेल में पहचान लिया था, जबकि अन्य साक्षी कार्तिकराम (अ. सा.-6) ने पहचान परेड को अस्वीकार किया है।

अनिल कुमार ने यह भी नहीं बताया कि जब डॉ. त्रिपाठी ने उससे पूछताछ की, तब उसने हत्या के संबंध में कुछ कहा हो। अन्वेषण के दौरान पुलिस ने उससे कई बार पूछताछ की थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जब भावना त्रिपाठी ने सहायता के लिए चिल्लाया, तब कोई भी पड़ोसी वहाँ उपस्थित नहीं हुआ। चूँकि वह भी थाने में रह रहा था, इसलिए यह संभावना प्रबल है कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों को देखा होगा, क्योंकि उन्हें भी वहीं निरुद्ध रखा गया था। अपीलकर्ता बीनू @ चन्द्र प्रकाश से प्रकटीकरण कथन तथा चाकू की बरामदगी के साक्षियों पर भी विचारण न्यायालय ने विश्वास नहीं किया है। अ. सा.-13 राजेन्द्र छाबड़ा एवं अ. सा.-14 गोपाल शर्मा ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। बाल साक्षी का यह दावा कि उसने अपीलकर्ताओं को मृतका पर चाकू से प्रहार करते हुए देखा, डॉ. त्रिपाठी के साक्ष्य से भिन्न है; डॉ. त्रिपाठी ने यह कहा है कि अनिल साहू रोते हुए उनके पास आया और बताया कि दो लड़के आए थे और उसे देखने के बाद मोटरसाइकिल से भाग गए। यह तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उल्लिखित है। अनिल कुमार का आचरण भी अप्राकृतिक प्रतीत होता है, क्योंकि न तो उसने शोर मचाया और न ही उसने अपने नियोक्ता या पड़ोसियों को घटना के बारे में तत्काल कोई जानकारी दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इसके विपरीत, राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

12. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की तर्के सुनीं तथा अभिलेख के साथ-साथ आक्षेपित निर्णय का भी अवलोकन किया।

13. अपीलकर्ताओं का दोषसिद्धि मुख्यतः अनिल कुमार (अ. सा.-21) के साक्ष्य पर आधारित है।

14. अ. सा.-1 डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी, अपीलकर्ता शशि त्रिपाठी के पति तथा मृतका भावना त्रिपाठी के ससुर हैं। उन्होंने यह कथन दिया है कि जब वे लगभग शाम 7 बजे अपना क्लिनिक बंद करके घर लौटे, तो उन्होंने अपने नौकर अनिल को रोते हुए पाया। अनिल ने उन्हें बताया कि

दो लड़के आए थे और उसे देखते ही मोटरसाइकिल से भाग गए। जब वे भीतर गए, तो उन्होंने भावना तथा शशि को आँगन में पड़े पाया। भावना मृत पड़ी हुई थी, जबकि शशि बेहोश थी। भावना के शरीर पर अनेक चोटें, जिनमें कटाँ हुआ घाव (incised wounds) भी शामिल थे, पाई गईं, जबकि शशि त्रिपाठी के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। उन्होंने प्रदर्श-पी/1 प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो उनके द्वारा दर्ज कराई गई थी, प्रदर्श-पी/3 पंचनामा, प्रदर्श-पी/5 मौका का नक्शा जो पुलिस द्वारा तैयार किया गया तथा प्रदर्श-पी/6 नजरी नजरि नक्शा जो हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया था , को सिद्ध किया है। उन्होंने यह भी अभिकथन किया है कि उन्होंने शशि त्रिपाठी से घटना के संबंध में न्यायालय में उसके परीक्षण किये जाने कि तिथि तक कुछ नहीं पूछा, क्योंकि पुलिस ने उन्हें उससे मिलने नहीं दिया। जितेन्द्र त्रिपाठी — जो भावना त्रिपाठी का पति है — शशि त्रिपाठी का सौतेला पुत्र है। घटना के समय घर में केवल शशि तथा भावना ही उपस्थित थीं। शशि एवं भावना के संबंध सामान्य थे तथा उनमें कोई तनाव नहीं था। उन्होंने यह भी अभिकथन किया है कि शशि त्रिपाठी ने जितेन्द्र त्रिपाठी के विवाह में बाधा डालने का प्रयास किया था, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी पुत्री अभिलाषा और जितेन्द्र का विवाह एक साथ संपन्न हो। तथापि, उन्होंने शशि त्रिपाठी की सलाह को न मानते हुए जितेन्द्र का विवाह भावना से कर दिया। उसने इस कारणवस शशि त्रिपाठी को किसी प्रकार की अप्रतिकुल प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने नहीं देखा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिपरीक्षण में उन्होंने यह कहा कि जब वे घर पहुँचे, तब तक अंधेरा हो चुका था। अनिल खेत में काम करने जाया करता था। घटना के दिन भी अनिल कार्य पर गया था और उनके घर आने से लगभग 10 से 15 मिनट पूर्व लौट आया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अनिल 10–15 दिनों तक पुलिस की अभिरक्षा में रहा।

15. उपरोक्त साक्षी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि अनिल उसके घर में नौकर के रूप में कार्य करता था तथा खेत में भी काम करता था। वह घटना स्थल पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति था। जब यह साक्षी घर पहुँचा, तो उसने अनिल को बरामदे में रोते हुए पाया। अनिल ने उसे बताया कि दो व्यक्ति उसे देखते ही मोटरसाइकिल से भाग गए। यह तथ्य प्रदर्श-पी/1 प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उल्लिखित है।

16. अ. सा.-2 गोशा @ मोहम्मद शमशाद सिद्दीकी ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने अपने डायरी कथन प्रदर्श-पी/7 को अस्वीकार किया है, जिसमें यह उल्लेख था कि घटना के दिन उन्होंने अपीलकर्ता राजू और बीनू तिवारी को एक तीसरे लड़के के साथ देखा था, जो राजू चौबे की मोटरसाइकिल पर बेमेतरा की ओर जा रहे थे। उन्होंने यह कहा कि वह केवल देवेंद्र चौबे को पहचानते हैं, जो सिमगा में रहता है तथा बस स्टैंड में कार्य करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अ. सा.-3 जितेन्द्र त्रिपाठी, मृतका के पति एवं अपीलकर्ता शशि त्रिपाठी के सौतेले पुत्र हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि शशि और भावना के संबंध सामान्य थे। उनकी सौतेली माता का व्यवहार उनके प्रति भी ठीक था। कुछ मामूली घरेलू तकरारों को छोड़कर, भावना और शशि त्रिपाठी के संबंध सामान्य थे तथा भावना त्रिपाठी उसके घर में सुखपूर्वक रह रही थी। यद्यपि एक बार भावना त्रिपाठी ने भोजन बनाने को लेकर शशि त्रिपाठी के संबंध में उससे शिकायत की थी।

18. अ. सा.-4 मनहरन, कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री एस.आर. दिवान द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2003 को कराई गई पहचान परेड की कार्यवाही का साक्षी है। तथापि, उसने यह स्वीकार करने से इनकार किया कि पहचान परेड उसकी उपस्थिति में कराई गई थी, यद्यपि उसने प्रदर्श-पी/8 के प्रकटीकरण कथन पर अपने हस्ताक्षर होने को स्वीकार किया है।

19. अ. सा.-5 शिवकुमार राजपूत तथा अ. सा.-6 अमित कुमार दुबे ने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने अपने डायरी कथनों का खंडन किया है, यद्यपि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वे राजू @ देवेंद्र को पहचानते हैं।

20. अ. सा.-8 कार्तिकराम भी प्रदर्श-पी/8 की पहचान परेड ज्ञापन का साक्षी है। उसने यह कहा कि अपीलकर्ता शशि त्रिपाठी को छोड़कर वह अन्य तीन अभियुक्त व्यक्तियों को नहीं पहचानता। उसे उप-जेल, बेमेतरा में अभियुक्तों की पहचान हेतु बुलाया गया था, परन्तु उसने किसी भी अभियुक्त को नहीं पहचाना, यद्यपि उसने प्रदर्श-पी/8 पहचान परेड ज्ञापन पर थाना प्रभारी के कहने पर हस्ताक्षर किए थे। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को बताया था कि तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए थे, पर वह उन्हें पहचान नहीं सका। उसने अपने इस आशय के डायरी कथन प्रदर्श-पी/15 का खंडन किया। उसने आगे कहा कि नायब तहसीलदार दिवान जेल गए थे और कई व्यक्तियों को वहाँ खड़े होने को कहा था। यह कहना सही होगा कि उसने दो व्यक्तियों को उन्हें स्पर्श कर पहचान किया था, यद्यपि उसने जिन व्यक्तियों की पहचान की, उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, और पहचान परेड के समय थाना प्रभारी वहाँ उपस्थित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अ. सा.-9 हेमदास, प्रदर्श-पी/16 की पहचान परेड ज्ञापन का साक्षी है। उसने प्रदर्श-पी/16 दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर होने को स्वीकार किया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अतिरिक्त तहसीलदार श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर के साथ उप-जेल के भीतर गया था। तथापि, हस्ताक्षर करने के उपरांत वह जेल से बाहर आ गया।

22. अ. सा.-12 श्री एस.आर. दिवान, कार्यपालक दण्डाधिकारी, ने दिनांक 13.12.2003 को उप-जेल बेमेतरा में बीनू तिवारी एवं महेश धृतलहरे की पहचान परेड संपादित की। उन्होंने यह कहा है कि पहचान परेड में कार्तिकराम तथा अनिल कुमार — दोनों ने अभियुक्तों की सही-सही पहचान की। पहचान परेड के उपरांत, उन्होंने दोनों अभियुक्तों के हस्ताक्षर लिए। उन्होंने

अभियुक्तों के साथ 14 अन्य व्यक्तियों को मिलाकर पहचान परेड आयोजित की थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मी उनके साथ जेल के भीतर गए थे, किन्तु वह उनके नाम नहीं जानते।

23. अ. सा.-13 राजेन्द्र कुमार तथा अ. सा.-14 गोपाल शर्मा, प्रकटीकरण कथन एवं जब्ती कार्यवाही के साक्षी हैं। तथापि, उन्होंने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। इसी प्रकार, अ. सा. -15 पूनाराम, जो पहचान परेड कार्यवाही का साक्षी है, पक्षद्रोही हो गया है और उसने यह अस्वीकार किया कि उसकी उपस्थिति में कोई पहचान परेड संपन्न हुई थी। वहीं दूसरी ओर, कार्यपालक दण्डाधिकारी श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर ने प्रदर्श-पी/15 पहचान परेड ज्ञापन, जिसे उन्होंने ही तैयार किया था, को सिद्ध किया है, जिसमें राजू @ देवेंद्र चौबे की पहचान अनिल द्वारा की गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24. अ. सा.-19 रामलाल बिसेन, हल्का पटवारी है। उसने प्रदर्श-पी/6 घटनास्थल का नक्शा तैयार किया तथा उसे सिद्ध किया है। इसी प्रकार, अ. सा.-20 कपिल वर्मा, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन एवं जब्ती की कार्यवाही का साक्षी है। तथापि, उसने दस्तावेज़ों की सामग्री को अस्वीकार किया है और पक्षद्रोही घोषित किया गया है, यद्यपि उसने उन दस्तावेज़ों पर अपने हस्ताक्षर होने को स्वीकार किया है।

25. अ. सा.-21 अनिल कुमार ने यह कथन दिया है कि वह सिंहबांधा का निवासी है। अपीलकर्ता शशि दीदी उसे गाँव सिंहबांधा से गाँव जेवरा लेकर आई थीं और उसे जेवरा में रहने के लिए कहा था। वह केवल शशि दीदी का नाम जानता है, तथापि वह चारों अभियुक्त व्यक्तियों को पहचानता है। वह शशि दीदी से बिलासपुर में मिला था, जब वे उसे जेवरा लाई थीं। जेवरा के स्कूल में अध्ययन करते समय वह शशि दीदी के घर में रहता तथा भोजन करता था। डॉक्टर साहब, शशि दीदी के पति हैं, जबकि शिवेंद्र और जितेन्द्र उनके पुत्र हैं। जितेन्द्र,

शशि दीदी का सौतेला पुत्र है। जितेन्द्र की पत्नी का नाम भावना है, जो शशि दीदी के घर में ही रहती थी। जितेन्द्र एक डॉक्टर है और वह खम्हरिया में रहता तथा वहाँ चिकित्सकीय व्यवसाय करता था, जबकि भावना जेवरा में रहती थी तथा शिवेंद्र कलकत्ता में अध्ययनरत था। वह भावना को 'भाभी' कहकर पुकारता था। शशि दीदी और भावना के बीच कभी-कभी झगड़ा हो जाया करता था। भावना की हत्या कर दी गई। देवेंद्र ने भावना को पकड़ रखा था और चन्द्र प्रकाश ने उस पर 3–4 बार चाकू से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गई। घटना आँगन में हुई। उस समय शशि दीदी बरामदे/पैसेज में उपस्थित थीं। चौथा अभियुक्त महेश घर के बाहर मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। टी.वी. कमरे में मेज पर कुछ पैसा रखा हुआ था, जिसे चन्द्र प्रकाश उठा ले गया। यह पैसा शशि दीदी द्वारा मेज पर रखा गया था। पैसा रबर बैंड से बँधा हुआ था। चन्द्र प्रकाश ने उसे (अनिल को) यह कहते हुए धमकाया कि इस बात को किसी से न कहे। इसके बाद तीनों अभियुक्त वहाँ से भाग गए। "शशि दीदी उसे ऊपर छत पर ले गईं और कहा कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ न बताए तथा यह कहे कि चोर आए थे और उन्होंने यह अपराध किया। इसके बाद वे चिल्लाने लगीं। इसी बीच उनके पति क्लिनिक से लौट आए। चिल्लाने के पश्चात शशि दीदी आँगन में भावना भाभी के पास लेट गईं।उसे पुलिस द्वारा उप-जेल ले जाया गया, जहाँ उसने देवेंद्र चौबे एवं चन्द्र प्रकाश की पहचान की। उसने महेश को भी जेल में पहचान लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. इस साक्षी का बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है। उसने यह स्वीकार किया कि उसे समन इलाहाबाद में प्राप्त हुआ था और वह इलाहाबाद से एक पुलिस आरक्षक के साथ आया था तथा वही आरक्षक उसे न्यायालय तक लेकर आया था। तथापि, उसने यह अस्वीकार किया कि उसे *लिखाया पढाया* (tutored) गया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस कर्मियों ने उसे लगभग 20–25 दिनों तक अपने साथ रखा, उसके भोजन की व्यवस्था की तथा वे कहा करते थे कि वे उसकी पढ़ाई की व्यवस्था भी कर देंगे। इसके बाद उसके पिता आए और

उसे अपने साथ ले गए। वह खेत से सुखराम और डॉक्टर के साथ लौटकर आया था। वह सुखराम और डॉक्टर के साथ क्लिनिक गया था तथा क्लिनिक से वह अकेला एक बछड़े के साथ घर लौटा। उस समय उसके साथ कोई नहीं था। उसने यह कथन दिया कि उसने घर के बाहर एक लड़के को खड़ा देखा और उसी समय उसे ऊपर की मंज़िल से भाभी की चीखें सुनाई दीं, जिस पर उसने दीदी से इसके बारे में पूछा, तो दीदी ने उसे चुपचाप बैठने को कहा और टीवी की आवाज़ बढ़ा दी। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि जिस स्थान पर वह खड़ा था वहाँ से आँगन दिखाई नहीं देता। उसने यह भी कहा कि उसने शोर इसलिए नहीं मचाया क्योंकि वह भयभीत था। कंडिका 29 में उसने यह कथन नकारा कि वह डॉक्टर के साथ घर लौटा था और कहा कि डॉक्टर उसके घर पहुँचने के 15–20 मिनट बाद पहुँचे। कंडिका 31 में उसने कहा कि घर की बाहरी (आउटर) लाइट बंद थी, तथापि घर के अंदर तथा अन्य कमरों की लाइटें चालू थीं। कंडिका-34 में उसने यह कथन किया कि उसने संपूर्ण घटना डॉक्टर को नहीं बताई थी। उसने यह स्वीकार किया कि पुलिस ने विभिन्न तिथियों पर उससे 3–4 बार पूछताछ की। उसे दो बार जेल ले जाया गया और दोनों अवसरों पर पहचान कराने के पश्चात् उसके हस्ताक्षर लिए गए। उसने पहचान के समय जेल के भीतर पुलिस कर्मियों की उपस्थिति से इंकार किया तथा कहा कि अभियुक्तों के साथ 15–20 व्यक्ति खड़े थे और सभी ने पैंट-शर्ट पहन रखी थी। कंडिका-38 में उसने कहा कि जब वह घर के भीतर गया, तब उसने देखा कि भावना भाभी सीढ़ियों से चिल्लाते हुए नीचे गिरी हुई थीं। इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक अभियुक्त ने भावना को पकड़ रखा था जबकि दूसरा अभियुक्त चाकू से प्रहार कर रहा था। कंडिका-51 में उसने कहा कि भयभीत होने के कारण वह 20–25 दिनों तक पुलिस के साथ रहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने इस साक्षी के साक्ष्य को चुनौती यह कहते हुए दी है, कि वह एक बालक है और इस कारण लिखाए पढाए जाने के प्रति संवेदनशील है। घटना के पश्चात वह 20–25 दिनों तक पुलिस की अभिरक्षा में रहा। यहाँ तक कि उसके न्यायालय में परीक्षण के

समय भी, उसे समन इलाहाबाद में एक पुलिस आरक्षक द्वारा तामील किया गया और तत्पश्चात वही पुलिस आरक्षक उसे इलाहाबाद से बेमेतरा लेकर आया तथा न्यायालय में भी वही उसे लेकर उपस्थित हुआ।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विविध निर्णयों का आधार लेते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि वह लिखाए पढाए जाने के प्रति सरल लक्ष्य होता है; अतः न्यायालय को उसके कथन की स्वीकार्यता के लिए हमेशा अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से पर्याप्त पुष्टिकरण (corroboration) की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए।

29. भगवान सिंह (उपर्युक्त) के प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध प्रस्तुत मुख्य साक्ष्य एकमात्र कथित बाल साक्षी का था, जो घटना के समय मात्र 6 वर्ष का था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, विचारण न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित बालक के आचरण (demeanour) — कि वह अपने कथन के दौरान डाँवाडोल (vacillating) हो रहा था — तथा यह तथ्य कि अभियोजन द्वारा पहचान परेड (T.I. parade) संपन्न नहीं कराई गई और दो अभियुक्त, जो साक्षी के लिए अपरिचित थे, पहली बार न्यायालय में कटघरे में पहचान किए गए — पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया कि बालक की आयु एवं समझ के स्तर को देखते हुए यह अत्यंत असंभाव्य है कि वह उन दो अन्य अभियुक्तों को पहचान सकता था, जो केवल उसी गाँव के निवासी मात्र थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

30. भगवान सिंह (उपर्युक्त) के प्रकरण में उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि 9 से 15 वर्ष आयु का बालक अपनी सरलता एवं मासूमियत के कारण प्रायः सच्चा वर्णन देने की अपेक्षा की जा सकती है, किन्तु ऐसे साक्षी के साक्ष्य को स्वीकार करने में सदैव यह आशंका बनी रहती है कि प्रभाव में आकर उसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा एक विशेष कथन देने हेतु सिखाया–पढ़ाया (coached) गया हो सकता है। अतः ऐसे बाल साक्षियों के साक्ष्य पर निर्भर करने के

लिए आवश्यक है कि उनके द्वारा दिया गया साक्ष्य न्यायिक जांच (judicial scrutiny) की कसौटी पर खरा उतरे।

31. वर्तमान प्रकरण में, अनिल कुमार 13 वर्ष का एक बालक है, जो ग्रामीण परिवेश से आता है। उसे अपीलकर्ता शशि त्रिपाठी बिलासपुर से लेकर आई थीं। वह शशि त्रिपाठी के घर में रहता और भोजन करता था तथा अपनी पढ़ाई भी वहीं करता था। उसके साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि वह एक नौकर के रूप में कार्यरत था तथा खेत में भी काम करता था।

32. ***तेहल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए ई आर 1979 एस सी 1347*** में, माननीय सत्र न्यायाधीश ने मृतक के 13 वर्षीय पुत्र को बाल साक्षी मानना आवश्यक नहीं समझा। सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा बाल साक्षी के साक्ष्य को दिए गए महत्व का अनुमोदन करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि— 'हमारे देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, 13 वर्ष के लड़के को बालक मानना कठिन है। इस आयु के अधिकांश लड़के खेतों में जाते हैं और वयस्क पुरुषों जैसा कार्य करते हैं।' वे निश्चय ही शपथ के महत्व तथा सत्य कथन की आवश्यकता को समझने में सक्षम होते हैं। यह देखते हुए कि इस साक्षी का विस्तृत परीक्षण किया गया और बचाव पक्ष उससे ऐसा कोई तथ्य प्राप्त नहीं कर सका जिससे उसे झूठा या लिखाया पढाया गया साक्षी कहा जा सके, माननीय न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि मात्र यह तथ्य कि वह मृतकों में से एक का पुत्र है, उसके साक्ष्य को संदेह की दृष्टि से देखने का कोई औचित्य नहीं ठहराता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. ***सतीश कुमार बनाम पंजाब राज्य, (1993) 3 क्राइम्स 1112*** में, 4 वर्ष के बालक के साक्ष्य के साक्षिक मूल्य (evidentiary value) पर विचार करते हुए यह प्रतिपादित किया गया कि साक्षी को लिखाए पढाए गया है या नहीं — इसका मूल्यांकन बालक द्वारा दिए गए साक्ष्य की प्रकृति तथा परिवेशगत परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

34. वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, अनिल कुमार घटना के समय 13 वर्ष का बालक था। वह अपीलकर्ता शशि त्रिपाठी के घर एवं खेत में कार्य करता था तथा अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। घटना की तिथि एवं समय पर स्थल पर उसकी उपस्थिति विवादित नहीं है। उसके कथन को डॉ. त्रिपाठी के साक्ष्य तथा तत्परता से दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से पुष्टिकरण प्राप्त होता है।ऐसा कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता कि वह अपीलकर्ता शशि त्रिपाठी, जिसने उसे उसके माता-पिता से लाकर अपने घर में रखा था और जिसे वह 'शशि दीदी' कहकर संबोधित करता है, को झूठा फँसा सके। उसके कथन को केवल इस आधार पर लिखाया पढाया या संदेहास्पद नहीं माना जा सकता कि वह घटना के पश्चात् 20–25 दिनों तक पुलिस के साथ रहा, विशेषकर तब, जब उसके प्रतिपरीक्षण से ऐसा कोई अन्य परिवेशगत तथ्य प्रकट नहीं होता जो उसके कथन की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करे। अन्य परिस्थितियाँ— जैसे कि घटना के समय घर में शशि त्रिपाठी और मृतका के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था; शशि त्रिपाठी को कोई चोट नहीं आई, जबकि भावना की उसी घटना में निर्ममता से हत्या कर दी गई; मृतका भावना की मुट्ठी में शशि त्रिपाठी के बाल पाए गए, जिन्हें शव परीक्षण करने वाले चिकित्सकों द्वारा बरामद किया गया और जिनका विधि विज्ञान प्रयोगशाला यह पुष्टि करता है कि वे बाल अपीलकर्ता शशि त्रिपाठी के ही हैं; तथा डॉ. एन.के. तिवारी (अ. सा. -11), जिन्होंने शशि त्रिपाठी का परीक्षण किया, ने उसके शरीर पर किसी प्रकार की चोट न पाई और स्पष्ट रूप से कहा कि उसे दिनांक 26.11.2003 को प्रातः 11:40 बजे अस्पताल से छुट्टी कर दिया गया था, जबकि उसके पति डॉ. एस.के. त्रिपाठी के अनुसार वह भावना की लाश के पास बेहोश पड़ी मिली थी — ये सभी परिस्थितियाँ बाल साक्षी अनिल कुमार के साक्ष्य को पुष्ट करती हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

35. इस साक्षी के संपूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण करने पर, हमें यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने उसके साक्ष्य को विश्वसनीय एवं भरोसेमंद ठहराते हुए सही निष्कर्ष निकाला है तथा इस

साक्षी को लिखाया पढाया साक्षी नहीं माना जा सकता। इस साक्षी का कथन उन दो कार्यपालक दण्डाधिकारियों के साक्ष्य से भी पुष्ट होता है, जिन्होंने उप-जेल बेमेतरा में विभिन्न तिथियों पर पहचान परेड संपन्न कराई थी, जिनमें अनिल कुमार ने तीनों अभियुक्त व्यक्तियों की सही-सही पहचान की थी।

36. "उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, हमारा मत है कि अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है। आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की कोई अवैधता या त्रुटि दृष्टिगत नहीं होती, जिससे हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न हो। अतः अपीलें निराधार हैं और निरस्त किए जाने योग्य हैं।"

37. परिणामस्वरूप, अपीलें असफल होती हैं तथा इन्हें निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 एवं 120-ख के अंतर्गत दोषसिद्धि तथा इनके तहत अधिरोपित दण्ड को यथावत् बनाए रखा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायामूर्ति

सही/-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायामूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Adv. Rahul Krishna Sahu.....